

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
जो
तामी

पत्रावली इंटरफेस में शुरू कर दी गई।
पत्रावली सोप 5:00 बजे पुनः प्रेषित
की गई। क्विल वादी व लूप वादी को
बार-बार आवाज लगावारी गई। बार-बार
आवाज लगाने के उपान्त श्री नाते वादी
का ही वादी अधिकता के उपरिष्ठ होने
के कारण पत्रावली अदम पंखी - अदम हाजरी
में खारिज की जाती है। पत्रावली केवल
शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर
वारिखल वक्तर हो। ~~कि~~ अ॥

निर्णय आज दिनांक 9/9/25
को सरे इजलास सुनाया गया। 